48/11

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 595874

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 03.10.09 को हरिदर्शन सिह पुत्र कृष्ण पाल सिह निवासी ग्राम व पो0 औरन्ध तह0 भोगांव जिला मैनपुरी द्वारा निष्पादित किया गया ।

1. ट्रस्ट का नाम – रामबेटी चेरीटेबिल ट्रस्ट ।
2. ट्रस्ट का पता– शिव नगर कालोनी जिला अस्पताल के पीछे गली नं0 2 जिला मैनपुरी।

शाखा कार्यालय– ट्रस्ट की शाखायें देश की अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकती है।

शिवदर्शन सिंह कृष्णपालसिंह नेकसी देवी

पूनम सौरभसिंह मधु BShauhan

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(2)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 595873

3. ट्रस्ट में लगाया धन 10000रू0 (दस हजार रूपये मात्र) नगद धनराशि हरिदर्शन सिह पुत्रश्री कृष्ण पाल सिह निवासी ग्रा0 पो0 औरन्ध द्वारा ट्रस्ट के लिये सर्मपित की गयी है उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त ट्रस्ट के पास वर्तमान दशा में अन्य कोई चल एवं अचल सम्पत्ति नही है भारतीय न्याय अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वमित्व को आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा ।

4. ट्रस्ट के तत्व – मुख्य ट्रस्टीगण द्वारा ट्रस्ट गठन निम्न तत्वों पर आधारित है – ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है आभार का सम्पत्ति से जुडा होना स्वमित्व से आबद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये उत्तराधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचियता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा ।

इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितकारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार

<u>उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होगे।</u>

1- हरिदर्शन सिह पुत्र कृष्ण पाल सिह नि0 ग्रा0 व पो0 औरन्ध (मुख्यट्रस्टी / ट्रस्टकर्ता)

2- शिवदर्शन पुत्र कृष्ण पालसिह नि0 औरन्ध (ट्रस्टी)

3- कृष्ण पालसिह पुत्र कायमसिह नि0 औरन्ध (ट्रस्टी)

4- नेकसी देवी पत्नी श्री कृष्ण पाल सिह नि0 ग्रा0 व पो0 औरन्ध (ट्रस्टी)

5- पूनम चौहान पत्नी हरिदर्शनसिह नि0 औरन्ध (ट्रस्टी)

शिवदर्शन सिंह कृष्णपालसिंह नेकसीदेवी

पूनम सौरभ सिंह मधु BShoubn

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(3)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 595872

6- सौरभ राठौर पुत्रश्री अवधेश सिह राठौर सुभाष नगर कस्बा छिबरामऊ जिला कन्नौज। (ट्रस्टी)

7- मधु पत्नीश्री अनीश सिह भदौरिया नि0 धर्मसिहपुरा पो0 सझेंथी तह0बाह जिला आगरा। (ट्रस्टी)

8- वीरेन्द्र सिह पुत्र सोबरनसिह नि0 शिव नगर कालोनी जिला अस्पताल के पीछे मैनपुरी। (ट्रस्टी)

5. ट्रस्ट के उददेश्य

1 युवक–युवतियों को उच्च तकनीकी एवं रोजगार परख शिक्षा प्रदान करना।

2 समान उददेश्य वाली संस्थाओ से सहायता प्राप्त करना एवं उनकी सहायता करना।

3 मानव कल्याण हेतु जन हित के कार्य करना ।

4 जनता में शिक्षा के प्रति जागरुकता पैदा करना तथा शिक्षा का प्रचारप्रसार तथा विधालयों / उच्चशिक्षा संस्थानों / डिग्री कालेजों / इंजी0 / तकनीकी एवं कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्वति से कराना उनका प्रबन्धन एवं संचालन करना ।

5 समय–समय पर अन्य समाज सेवी जनहित कार्य कराना ।

6 संस्था के उददेश्यों की पूर्ती हेतु वित्तीय संस्थाओं से अथवा निजी व्यक्तियों / जनप्रतिनिधियेां से अनुदान / दान अथवा ऋण प्राप्त कराना।

7 ट्रस्ट / के विकास हेतु निर्धन अनाथ, एवं निर्बल वर्ग नागरिकों को वृद्धजनों विधवा / अनाथ महिलाओं निराश्रित अनाथ बच्चों अपंग लोगों के कल्याण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य के सम्बधित विभागों

शिवदर्शन सिंह नेकसी देवी

प्रथम सौरभ सिंह मधु

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(4)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 597138

मन्त्रालयों एवं अन्य संस्थानों, संगठन के वित्तीय सहयोग/अनुदान/ऋण से चलायी जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर नगरिकों का सर्वागीण विकास कराना

6. **ट्रस्ट के कार्य क्षेत्र** – सम्पूर्ण भारत

7. **ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य** –

1. ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन एवं दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खातों में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी जो जन हित तथा ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ती में खर्च की जायेगी उक्त धनराशि के लेन देन करने (बैक खाता आपरेट के लिये) मुख्य ट्रस्टीगण के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही बैंक से धन निकाला जायेगा।
2. यह कि किसी संस्था चलाये जाने का प्रविधान ट्रस्ट को होगा जिस पर मुख्य ट्रस्टी का स्वमित्व होगा जो भी सम्पत्ति क्रय की जायेगी उसका बैनामा के रूप में पंजीकरण भी कराया जायेगा।
3. यदि किसी कारणवश द्वारा कोई भी संस्था समाप्त होती है ऐसी स्थिति मे संस्था की चल एवं अचल संम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी और ट्रस्ट डीड अधीन शर्तो के अनुरूप समस्त चल व अचल सम्पत्ति का बटंवारा किया जायेगा ।
4. मुख्य ट्रस्टी अपने हस्ताक्षरों से ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति की स्वीकारात एवं वाद विवाद सम्बन्धी कार्यवाही करेगा ।

8. **ट्रस्टियों की नियुक्ति** –

सभी ट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्टके सदस्य रहेंगे किसी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उनके द्वारा नामित अथवा उनका उत्तराधिकारी ही

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 595869

इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे। उत्ताधिकारी में ट्रस्टी का सबसे बडा पुत्र, पुत्र न होने पर पुत्री ट्रस्टी होंगे ।

9. **संचालित संस्थानों की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य** –

ट्रस्ट द्वारा संचालित विधालय/महाविधालय अन्य संस्थान जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगे की प्रबन्ध समितियों का प्रबन्ध मुख्य ट्रस्टी एवं अन्य 7 ट्रस्टी मिलाकर करेंगे।

10ट्रस्ट प्रमुख

श्री हरिदर्शन सिह कृष्ण पाल सिह नि0 औरन्ध इस ट्रस्ट के प्रबन्धक/सचिव होंगे एवं कृष्ण पाल सिह पुत्रश्री कायमसिह इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे यह ही मुख्य ट्रस्टी/ ट्रस्ट प्रमुख होंगे एवं इनकी मरणोपरान्त इनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी ही पदाधिकारी/प्रमुख ट्रस्ट एवं ट्रस्टी होंगे उत्तराधिकारी में मुख्य का सबसे बडा पुत्र/पुत्र के न होने पर सबसे बडी पुत्री मुख्य ट्रस्टी/पदाधिकारी प्रमुख ट्रस्टी होंगे।

11. ट्रस्टियों की संख्या – ट्रस्टियों की संख्या मुख्य ट्रस्टियों को मिलाकर आठ होगी जिसमें वर्तमान में मुख्य ट्रस्टियों के सहित निम्न ट्रस्टी होंगे ।

1 हरिदर्शन सिह पुत्र कृष्ण पाल सिह नि0 ग्रा0 व पो0 औरन्ध (मुख्यट्रस्टी/ ट्रस्टकर्ता) प्रबन्धक/सचिव

2. शिवदर्शन पुत्र कृष्ण पाल सिह नि0 औरन्ध (ट्रस्टी) प्रबन्धक/उपसचिव

3 कृष्ण पालसिह पुत्र कायमसिह नि0 औरन्ध (ट्रस्टी) अध्यक्ष

4 नेकसी देवी पत्नी कृष्ण पाल सिह नि0 ग्रा0 व पो0 औरन्ध (ट्रस्टी) उपाध्यक्ष

5 पु[illegible] चौहान पत्नी हरिदर्शनसिह नि0 औरन्ध (ट्रस्टी) कोषाध्यक्ष

हरिदर्शी सिंह कृष्णपालसिंह नेकसी देवी

सौरभ सिंह

स्टा न०
1443 / 1-10-2009 100

लाखसिंह शाक्य, स्टाम्प विक्रेता
कलक्ट्रेट – मैनपुरी
लाइसेन्स नं० २८

न्यास पत्र

10,000.00	200.00	40	240.00	2,000
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती हरिदर्शन सिंह मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टकर्ता
पुत्र / पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी स्थायी औरन्ध मैनपुरी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 6/10/2009 समय 3:19PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रामऔतार
उप निबन्धक सदर,
मैनपुरी
6/10/2009

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री/श्रीमती हरिदर्शन सिंह मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टकर्ता
पुत्र/पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध मैनपुरी

श्री/श्रीमती शिवदर्शन ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध मैनपुरी

श्री/श्रीमती कृष्ण पाल सिंह ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री कायम सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध मैनपुरी

श्री/श्रीमती नेकसी देवी ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी औरन्ध मैनपुरी

नेकसी देवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

(6)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 655663

6 सौरभ राठौर पुत्रश्री अवधेश सिह राठौर सुभाष नगर कस्बा छिबरामऊ जिला कन्नौज(ट्रस्टी)

7. मधु पत्नीश्री अनीश सिह भदौरिया नि0 धर्मसिहपुरा पो0 सझेंथी तह0बाह जिला आगरा।

(ट्रस्टी)

8. वीरेन्द्र सिह पुत्र सोबरनसिह नि0 शिव नगर कालोनी जिला अस्पताल के पीछे मैनपुरी। (ट्रस्टी)

12 ट्रस्ट बैठक –

ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (सात दिन पूर्व दी जायेगी) किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय चौबिस घण्टे पहले सूचना देकर बुलायी जा सकती है बैठक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध की समिति से अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक में से कोई भी बुला सकता है।

13 गण पूर्ति –

बैठक के समस्त ट्रस्टियों के 2/3 ट्रस्टियों का होना अनिवार्य है ।

14 ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. अध्यक्ष :–

1. ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा की अध्यक्षता करेंगे ।

2. मीटिंग बुलाने के लिये निर्देश देना।

2. प्रबन्धक/सचिव:–

1. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना मिटिंग बुलाना तथा उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना मिटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

प्रियदर्शनी सिंह कृष्णपाल सिंह नेकसी देवी

प्रथम सौरभ सिंह मधु

स्टा न
1443
1-10-2009 100

[illegible]सिंह शाक्य, स्टाम्प विक्रेता
कलक्ट्रेट - मैनपुरी
लाइसेन्स नं० ३८

न्यास पत्र

10,000.00

न्यास की राशि	फीस रजि०	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
10,000.00	200.00	40	240.00	2,000

श्री /श्रीमती हरिदर्शन सिंह मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टकर्ता
पुत्र / पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी स्थायी औरन्ध मैनपुरी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 6/10/2009 समय 3:19PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रामऔतार
उप निबन्धक सदर,
मैनपुरी
6/10/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री/श्रीमती हरिदर्शन सिंह मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टकर्ता
पुत्र/पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध मैनपुरी

श्री/श्रीमती शिवदर्शन ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध मैनपुरी

शिवदर्शन सिंह

श्री/श्रीमती कृष्ण पाल सिंह ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री कायम सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध मैनपुरी

श्री/श्रीमती नेकसी देवी ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी औरन्ध मैनपुरी

नेकसी देवी

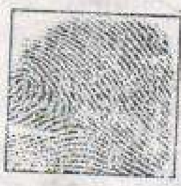

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(6)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 655663

6 सौरभ राठौर पुत्रश्री अवधेश सिह राठौर सुभाष नगर कस्बा छिबरामऊ जिला कन्नौज(ट्रस्टी)

7. मधु पत्नीश्री अनीश सिह भदौरिया नि0 धर्मसिहपुरा पो0 सड़ेंथी तह0बाह जिला आगरा।

(ट्रस्टी)

8. वीरेन्द्र सिह पुत्र सोबरनसिह नि0 शिव नगर कालोनी जिला अस्पताल के पीछे मैनपुरी। (ट्रस्टी)

12 ट्रस्ट बैठक –

ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (सात दिन पूर्व दी जायेगी) किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय चौबिस घण्टे पहले सूचना देकर बुलायी जा सकती है बैठक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध की समिति से अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक में से कोई भी बुला सकता है।

13 गण पूर्ति –

बैठक के समस्त ट्रस्टियों के 2/3 ट्रस्टियों का होना अनिवार्य है ।

14 ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. अध्यक्ष :–

1. ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा की अध्यक्षता करेंगे ।

2. मीटिंग बुलाने के लिये निर्देश देना।

2. प्रबन्धक/सचिवः–

1. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना मिटिंग बुलाना तथा उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना मिटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

1443
1-10-2009 100

शाक्य, स्टाम्प विक्रेता
कलक्ट्रेट – मैनपुरी
लाइसेन्स नं० ३६

यास पत्र

10,000.00	200.00	40	240.00	2,000
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती हरिदर्शन सिंह मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टकर्ता
पुत्र / पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी स्थायी औरन्ध मैनपुरी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 6/10/2009 समय 3:19PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रामऔतार
उप निबन्धक सदर,
मैनपुरी
6/10/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री/श्रीमती हरिदर्शन सिंह मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टकर्ता
पुत्र/पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध मैनपुरी

श्री/श्रीमती शिवदर्शन ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध मैनपुरी

श्री/श्रीमती कृष्ण पाल सिंह ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री कायम सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध मैनपुरी

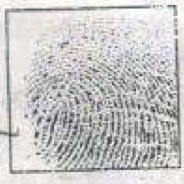

श्री/श्रीमती नेकसी देवी ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री कृष्ण पाल सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी औरन्ध मैनपुरी

नेकसी देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(6)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 655663

6 सौरभ राठौर पुत्रश्री अवधेश सिह राठौर सुभाष नगर कस्बा छिबरामऊ जिला कन्नौज(ट्रस्टी)

7. मधु पत्नीश्री अनीश सिह भदौरिया नि0 धर्मसिहपुरा पो0 सझेंथी तह0बाह जिला आगरा।

(ट्रस्टी)

8. वीरेन्द्र सिह पुत्र सोबरनसिह नि0 शिव नगर कालोनी जिला अस्पताल के पीछे मैनपुरी। (ट्रस्टी)

12 ट्रस्ट बैठक –

ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (सात दिन पूर्व दी जायेगी) किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय चौबिस घण्टे पहले सूचना देकर बुलायी जा सकती है बैठक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध की समिति से अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक में से कोई भी बुला सकता है।

13 गण पूर्ति –

बैठक के समस्त ट्रस्टियों के 2/3 ट्रस्टियों का होना अनिवार्य है ।

14 ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. अध्यक्ष :–

1. ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा की अध्यक्षता करेंगे ।

2. मीटिंग बुलाने के लिये निर्देश देना।

2. प्रबन्धक/सचिवः–

1. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना मिटिंग बुलाना तथा उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना मिटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

प्रियदर्शनी सिंह — कृपालसिंह — नेकसीदेवी

प्रथम — सौरभ सिंह — मधु — BShah

रामलाल शाक्य
स्टाम्प विक्रेता
मैनपुरी लाइ० न० 28

श्री/श्रीमती पूनम चौहान ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री हरिदर्शन सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी औरन्ध मैनपुरी

श्री/श्रीमती सौरभ राठौर ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री अवधेश सिंह
पेशा अध्ययन
निवासी सुभाष नगर कस्बा व तह0 छिबरामऊ जिला कन्नौज

श्री/श्रीमती मधु ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री अनीश सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी धर्मसिंह पुरा पो0 सझेंथी तह0 बाह जिला आगरा

श्री/श्रीमती वीरेन्द्र सिंह
पुत्र/पत्नी श्री सोबरन सिंह
पेशा व्यापार
निवासी शिवनगर कालौनी जिला अस्पताल के पीछे शहर मैनपुरी

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री अरविन्द सिंह
पुत्र श्री श्रीपाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध तह0 भोगांव मैनपुरी
व श्री तनीश प्रताप सिंह
पुत्र श्री रमेश सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध तह0 भोगांव मैनपुरी
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रामऔतार
उप निबन्धक सदर,
मैनपुरी
6/10/2009

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(7)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 655664

2. ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार कराना ।
3. ट्रस्ट के हित में दान, चन्दा प्राप्त कराना तथा संस्था कोष में जमाकराना ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखभाल कराना ।
4. दान–अनुदान, चन्दा प्राप्त कराना व उसकी रशीद देना। ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण करना।
5. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष की अनुमति एवं वादों की पैरवी कराना ।
6. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों ऋण अनुदान, पत्रों, चैको, ड्रफ्टों, बन्धक विलेखों बिल बाउचर पर संसुक्त रूप से अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर कराना ।

15. लेखा परीक्षक–

ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टियों के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा एवं मुख्य ट्रस्टियों द्वारा अनावश्क समझे जाने पर हटाया भी जा सकेगा ट्रस्ट प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उददेश्यों के प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्याय का हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार ऑडिट आदि करवायेगा संस्था के आय व्यय बही पत्रों सत्र समाप्ती पर जांच हेतु मुख्य ट्रस्टगण के समक्ष प्रस्तुत कराना ।

16. संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन :–

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओ के लिये प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्ही ट्रस्टियों के द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मुख्य ट्रस्टीगण चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेंगे।

शिवदर्शन सिंह   कृपालसिंह   जैकश्री देवी

प्रथम   सौरभ सिंह   मधु   BShah

श्री/श्रीमती पूनम चौहान ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री हरिदर्शन सिंह
पेशा गृहिणी पूनम
निवासी औरन्ध मैनपुरी

श्री/श्रीमती सौरभ राठौर ट्रस्टी
पुत्र/पत्नी श्री अवधेश सिंह सौरभ सिंह
पेशा अध्ययन
निवासी सुभाष नगर कस्बा व तह0 छिबरामऊ जिला कन्नौज

श्री/श्रीमती मधु ट्रस्टी मधु
पुत्र/पत्नी श्री अनीश सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी धर्मसिंह पुरा पो0 सझेंथी तह0 बाह जिला आगरा

श्री/श्रीमती वीरेन्द्र सिंह
पुत्र/पत्नी श्री सोवरन सिंह
पेशा व्यापार
निवासी शिवनगर कालौनी जिला अस्पताल के पीछे शहर मैनपुरी

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री अरविन्द सिंह अरविन्द सिंह
पुत्र श्री श्रीपाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध तह0 भोगांव मैनपुरी

व श्री तनीश प्रताप सिंह
पुत्र श्री रमेश सिंह
पेशा कृषि
निवासी औरन्ध तह0 भोगांव मैनपुरी

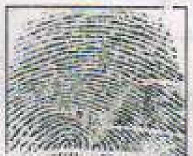

ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

रामऔतार
उप निबन्धक सदर,
मैनपुरी
6/10/2009

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(7)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 655664

2. ट्रस्ट के कार्यकमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार कराना ।
3. ट्रस्ट के हित में दान, चन्दा प्राप्त कराना तथा संस्था कोष में जमाकराना ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखभाल कराना ।
4. दान–अनुदान, चन्दा प्राप्त कराना व उसकी रशीद देना। ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण करना।
5. ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष की अनुमति एवं वादों की पैरवी कराना ।
6. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों ऋण अनुदान, पत्रों, चैको, ड्रफ्टों, बन्धक विलेखों बिल बाउचर पर संसुक्त रूप से अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर कराना ।

15. लेखा परीक्षक–

ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टियों के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा एवं मुख्य ट्रस्टियों द्वारा अनावश्क समझे जाने पर हटाया भी जा सकेगा ट्रस्ट प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उददेश्यों के प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्याय का हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार ऑडिट आदि करवायेगा संस्था के आय व्यय बही पत्रों सत्र समाप्ती पर जांच हेतु मुख्य ट्रस्टगण के समक्ष प्रस्तुत कराना ।

16. संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन :–

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओ के लिये प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्ही ट्रस्टियों के द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मुख्य ट्रस्टीगण चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेंगे।

शिवदर्शन सिंह   नेकरी देवी

प्रथम   सौरभ सिंह   मधु   Bshank

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(8)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 655665

2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों/महाविधालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना (उच्च शिक्षा) के अनुरूप होंगे।

3. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों/महाविधालयों के संचालन के लिये प्रबन्ध समिति का गठन दोनो मुख्य ट्रस्टी व अन्य 6 ट्रस्टी मिलकर करेंगे प्रबन्ध समिति एवं उनके पदाधिकरियों का चयन इन्ही आठ ट्रस्टियों में होगा अर्थात ट्रस्ट द्वारा संचालित हर विधालय/महाविधालय के प्रबन्ध समिति में ट्रस्ट के आठ ट्रस्टी ही ट्रस्टी होने नाते प्रबन्ध समितियों के सदस्य व पदाधिकारी होंगे ।

4. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविधालय में 8 ट्रस्टी ही पदाधिकारी व सदस्य होंगे जिसमें पदाधिकारी का चयन मुख्य ट्रस्टी व अन्य 7 ट्रस्टी ही मिलकर करेंगे संचालित संस्थान/महाविधालय में निम्न पदाधिकारी होंगे

1.	अध्यक्ष	एक
2.	उपाध्यक्ष	एक
3.	प्रबन्धक/सचिव	एक
4.	उप प्रबन्धक/उप सचिव	एक
5.	कोषाध्यक्ष	एक
6.	लेखापरिक्षक/ऑडिटर	एक
7.	सदस्य	दो

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन दिनांक 15.09.2009 को साधारण जनता के हितों व लाभों के लिये किया गया है। ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/डिग्री कॉलेजों का संचालन किया जाना वृद्धों, निर्बलों, असहायों विकलागों, परित्क्ता, महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना रोगी आदि रोग के निर्वाण हेतु तत्परता दिखाना व चिकित्सालय की स्थापना करना, व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णोद्वार करने, निर्धन कन्याओं के विवाह आदि करवाना

न्यासी

Registration No : 48 | Year : 2009 | Book No. 4

0105 एू.स कीतन ट्रस्टी

हरिदर्शन सिंह

औरन्ध मैनपुरी

गृहिणी

0106 सौरभ राठौर ट्रस्टी

अवधेश सिंह

सुभाष नगर कस्बा व तह0 छिबरामऊ जिला कन्नौज

अध्ययन

0107 मधु ट्रस्टी

अनीश सिंह

धर्मसिंह पुरा पो0 राझौंशी तह0 बाह जिला आगरा

गृहिणी

0108 वीरेन्द्र सिंह

सोबरन सिंह

शिवनगर कालौनी जिला अस्पताल के पीछे वार्ड मैनपुरी

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(9)

M 655666

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

व यथा समय निर्धनों को दान आदि देने का कार्य उपरोक्त ट्रस्ट का उददेश्य होगा।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्य ट्रस्टियों द्वारा राजी खुशी व बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होशो हवास में परिवार जनों की सलाह मशविरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे तारीख तहरीर 05.10.2009ई0 ड्राफ्टकर्ता सर्वेश कुमार यादव कलैक्ट्रेट परिसर मैनपुरी।

गवाह–

1. अरविन्द सिह पुत्र श्री श्रीपालसिह निवासी ग्राम व पो0 औरन्ध तह0 भोगांव जिला मैनपुरी।

2. तनीश प्रताप सिह पुत्र श्री रमेशसिह निवासी ग्राम व पो0 औरन्ध तह0 भोगांव जिला मैनपुरी।

नेकसी देवी

प्रनम सौरभ सिंह मधु

(वि.सं. 683 — 1-10-09) 9502 — 6 पश्चात

श्यामलाल शर्मा

स्टाम्प विक्रेता

आज दिनांक 06/10/2009 को

बही सं 4 जिल्द सं 34

पृष्ठ सं 169 से 186 पर क्रमांक 48

पंजीकृत किया गया ।

रामऔतार

उप निबन्धक सदर,

मैनपुरी

6/10/2009